

पाद भू-०१ / । 20141117054549 सन 2014 अधिकारी 143 उपर्युक्त एवं भूमि 00000000000000000000000000000000

अजयपाल सिंह आदि 143 परगना अहार तहसील सरकार

प्रभा— अमरथल उर्फ उचागांव 143 - परगना—अहार तहसील— स्याना, जिला—बुलन्दशहर |

प्रश्नगत वाद अजयपाल सिंह पुत्र खजान सिंह व वीरेन्द्रसिंह व सत्यपाल सिंह पुत्रगण अजयपाल सिंह निवासी ग्राम— मड़ेयाकलां परगना— अहार तहसील— स्याना जिला बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादहु अजयपाल सिंह पुत्र खजान सिंह, वीरेन्द्र सिंह व सत्यपाल पुत्रगण अजयपाल सिंह, ओमप्रकाश पुत्र चन्द्रपाल सिंह, शीला उपनाम सुक्खी पत्नि चन्द्रपाल सिंह निवासीगण ग्राम मड़ेयाकलां मजरा उचागांव व अजयपाल सिंह प्रेमवती देवी एजुकेशनल ट्रस्ट मकान न० 938 उचागांव सचिव वीरेन्द्र पुत्र अजयपाल सिंह द्वारा ग्राम अमरथल उर्फ उचागांव परगना —अहार तहसील— स्याना, जिला—बुलन्दशहर स्थित भूमि खाता सं० 06 के गाटा सं० 642 रकवई 1.7610हौ० को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसील से प्राप्त आख्या के आधार पर योजित हुआ।

वाद पंजीकृत किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलांसे प्राप्त आख्या में मौके का फोटोग्राफ संलग्न कर भूमि पर कृषि कार्य नहीं होने, भूमि मत्स्य पालन व कुकुट पालन आदि के प्रयोग में न आने, भूमि पर दीवार बनी होने तथा ईट पड़ी होने का उल्लेख करते हुये भूमि अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है। वादी के अधिवक्ता द्वारा भूमि खाता सं० 06 के गाटा सं० 642 रकवई 1.7610हौ० को कृषि कार्य न होने व तहसील आख्या के आधार पर अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। तहसील आख्या के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा उ०प्र० शासन, लखनऊ आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग-३ के पत्र सं० एम०एस०/८-३-१३-४७ विविध/१३ दिनांक ०३-६-२०१३ व मुख्य सचिव, राजस्व अनुभाग-१ उ०प्र० शासन के पत्र सं० ११९२/एफ-१-२०१२-२४(२)/२०१२ दिनांक २४.१२.२०१२ के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना अवश्यक है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायहित मेंग्राम-अमरथल उर्फ उचागांव परगना—अहार तहसील स्याना— जिला— बुलन्दशहर स्थित भूमि खाता सं० 06 के गाटा सं० 642 रकवई 1.7610हौ० को लगान समाप्त कर इस शर्त के साथ अकृषिक घोषित किया जाता है कि अधिसूचित क्षेत्रों में विकास/निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिनियम के प्राविधानों का पालन करते हुये भू-उपयोग परिवर्तन हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना भी अनिवार्य है, तथा सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत लागू योजनाओं में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार अथवा नियमानुसार भू-परिवर्तन कराने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ही विकास/निर्माण कार्य किया जायेगा। उ०प्र० ज०वि०एवं भू०व्य०अधि० की धारा 143 की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रख्यापन मात्र से भू-उपयोग परिवर्तन नहीं होगा। यदि उक्त धारा के अन्तर्गत प्रख्यापन को भू-उपयोग परिवर्तन के रूप में लिया जाता है, तो विधि विरुद्ध मानते हुये ऐसा भू-उपयोग निष्प्रभावी होगा। आदेश की प्रति तहसीलदार स्याना व उप निवन्धक स्याना को भेजी जावे। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो रहा पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दर्फतर हो।

दिनांक:— २१.१०.१५

सत्य प्रोत्तलिङ्ग

राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश
कलेक्टर, बुलन्दशहर
१८-९-१९

21/10/15
(जगत पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी